

9/6/16
2/6/2016

2/6/2016

भारत सरकार/GOVERNMENT OF INDIA
रेल मंत्रालय/MINISTRY OF RAILWAYS
(रेलवे बोर्ड/RAILWAY BOARD)

No. 2003/H-1/2/2

New Delhi, dated 27.05.2016

The General Managers,
All Indian Railways/Production Units
The Director General, RDSO, Lucknow & The CAO(R), DMW, Patiala.

Sub: Calculation of per capita charges for providing Medical Facilities to certain beneficiaries in Railway Hospital/Dispensaries.
Ref: Board's letter of even no. dated 25.11.2014.

In terms of Para 610(3) of IRMM-2000, Medical attendance and treatment facilities are available to the staff and the members of their families of the Cooperative Credit Societies and Banks on per capita charge basis. Similarly, as per Para 610(5) of IRMM-2000, Indoor Medical facilities to the family members of quasi-Railway organization, as mentioned in para 610(1) of IRMM-2000, are available on payment of per-capita charges.

The per capita charges is calculated on the basis of total expenditure on medical services (excluding health services) incurred on Railway employee in India during the previous financial year.

336

Accordingly, the per capita charges for the financial year i.e. 2004-05 to 2013-14 & 2015-16 are as under :

S.No.	Financial year	Per capita charges (per card holder (family))
1.	2004-05	Rs.3070/-p.a.
2.	2005-06	Rs.3169/-p.a.
3.	2006-07	Rs.3655/-p.a.
4.	2007-08	Rs.4073/-p.a.
5.	2008-09	Rs.4648/-p.a.
6.	2009-10	Rs.6445/-p.a.
7.	2010-11	Rs.7663/-p.a.
8.	2011-12	Rs.8045/-p.a.
9.	2012-13	Rs.8859/-p.a.
10.	2013-14	Rs.9038/-p.a.
11.	2014-15	Rs.10,283.29/-p.a. per capita charges (per card holder (family)) had already been fixed vide Board's letter of even no. dated 25.11.2014.
12.	2015-16	Rs.11020/-p.a.

R
308

This issues with the concurrence of Finance Directorate of Railway Board.

Harinder Sanhotra
(Mrs. H.K. Sanhotra)
Deputy Director/H & FW
Railway Board
New Delhi, dated 27.05.2016

No. 2003/H-1/2/2
Copy to:

1. The Chief Medical Director/Officers/Supdt., All Indian Railways & Production Units.
2. The Chief Personnel Officers, All Indian Railways & Production Units.
3. The FA&CAO, All Indian Railways & Production Units.
4. The Director of Audit, All Indian Railways & Production Units.
5. The Dy. Comptroller & Auditor General of India (Railways), Room No. 222, Rail Bhawan, New Delhi

NER
258
6.6.16

Copy for DDE/EM & F/...

For File...

सं. 2003/एच-1/2/2

महाप्रबंधक,

सभी भारतीय रेलें/उत्पादन इकाइयां

महानिदेशक, अ. अ. मा. सं., लखनऊ एवं मुख्य प्रशासनिक अधिकारी(आर), डीजल आधुनिकीकरण कारखाना, पटियाला।

विषय : रेल अस्पतालों/डिस्पेंसरियों में कुछ लाभार्थियों को चिकित्सा सुविधाएं मुहैया कराने के लिए प्रति व्यक्ति प्रभार की गणना।

संदर्भ : बोर्ड का दिनांक 25.11.2014 का समसंख्यक पत्र.

आईआरएमएम-2000 के पैरा 610(3) के अनुसार, सहकारी कृष्ण समितियों और बैंकों के कर्मचारियों एवं उनके परिवार के सदस्यों को प्रति व्यक्ति प्रभार के आधार पर चिकित्सा सेवा एवं उपचार सुविधाएं उपलब्ध हैं। उसी प्रकार, आईआरएमएम-2000 के पैरा 610(1) में यथा उल्लिखित अर्ध-रेलवे संगठन के कर्मचारियों के परिवार के सदस्यों को भी प्रति व्यक्ति प्रभार का भुगतान करने पर इन्डोर चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध हैं।

प्रति व्यक्ति प्रभार की गणना पिछले वित्त वर्ष के दौरान रेल कर्मचारियों की चिकित्सा सेवाओं (स्वास्थ्य सेवाओं को छोड़कर) पर किए गए कुल खर्च के आधार पर की जाती है।

तदनुसार, वित्त वर्ष अर्थात् 2004-05 से 2013-14 और 2015-16 के लिए प्रति व्यक्ति प्रभार निम्नानुसार है:-

क्र.सं.	वित्त वर्ष	प्रति व्यक्ति प्रभार (प्रति कार्डधारक (परिवार))
1.	2004-05	₹ 3070/- प्रति वर्ष
2.	2005-06	₹ 3169/- प्रति वर्ष
3.	2006-07	₹ 3655/- प्रति वर्ष
4.	2007-08	₹ 4073/- प्रति वर्ष
5.	2008-09	₹ 4648/- प्रति वर्ष
6.	2009-10	₹ 6445/- प्रति वर्ष
7.	2010-11	₹ 7663/- प्रति वर्ष
8.	2011-12	₹ 8045/- प्रति वर्ष
9.	2012-13	₹ 8859 प्रति वर्ष
10.	2013-14	₹ 9038 प्रति वर्ष
11.	2014-15	बोर्ड के दिनांक 25.11.2014 के समसंख्यक पत्र के तहत पहले ही ₹ 10,283/- प्रति वर्ष निर्धारित किया गया है (प्रति कार्ड धारक (परिवार))
12.	2015-16	₹ 11020/- प्रति वर्ष

इसे रेलवे बोर्ड के वित्त निदेशालय की सहमति से जारी किया जाता है।

हरिहर मोहोत्रा
(श्रीमती एच. के. सनहोत्रा)

उपनिदेशक/स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण

रेलवे बोर्ड

नई दिल्ली, दिनांक 27.05.2016

सं. 2003/एच-1/2/2

प्रतिलिपि प्रेषित:

1. मुख्य चिकित्सा निदेशक/अधिकारी/पर्यवेक्षक, सभी भारतीय रेलें एवं उत्पादन इकाइयां।
2. मुख्य कार्मिक अधिकारी, सभी भारतीय रेलें एवं उत्पादन इकाइयां।
3. वित्त सलाहकार एवं मुख्य लेखा अधिकारी, सभी भारतीय रेलें एवं उत्पादन इकाइयां।
4. निदेशक लेखा-परीक्षा, सभी भारतीय रेलें एवं उत्पादन इकाइयां।
5. भारत के उप-नियंत्रक एवं महा लेखापरीक्षक (रेलें), कमरा नं. 222, रेल भवन, नई दिल्ली।

प्रतिलिपि उपनिदेशक वित्त (स्था.) और एफ (ई.)। रेलवे बोर्ड के लिये-

कृते वित्त आयुक्त/रेलवे